आदेश

तहसील धारचूला अन्तर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है :–

1. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों हेतु आदि कैलाश में चिकित्सा कैम्प स्थापित करते हुए पर्यटकों का भली–भांति चिकित्सकीय परीक्षण कर लिया जाय तथा पर्यटकों को उच्च हिमालयी क्षेत्र की परिस्थितियों से भी अवगत कराया जाय।
2. पर्यटक के अस्वस्थ होने की स्थिति में किसी भी दशा में इनर लाईन परमिट जारी न किया जाय।
3. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की निगरानी हेतु स्थान ज्योंलिंकॉग एवं ओम पर्वत में पुलिस एवं राजस्व प्रशासन की अस्थाई चौकी स्थापित कर ली जाय। इसमें पुलिस विभाग से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त कर लिया जाय।
4. उक्त क्षेत्रान्तर्गत मार्गो में विभिन्न स्थानों पर साइनेज स्थापित करते हुए क्षेत्र की आवश्यक जानकारियां प्रदर्शित कर ली जांय।
5. जगह–जगह पर जागरूकता हेतु ब्रोशर व पैम्पलेट लगा लिये जाय।

अतः उप जिलाधिकारी, धारचूला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून 27, 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या– 1818 /बीस–न्या0स0/2021–22 दिनांक जून 27, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी, धारचूला।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, धारचूला।
5. जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इनर लाईन पास हेतु वैबसाइट के माध्यम से उपरोक्तानुसार उच्च हिमालयी क्षेत्र की परिस्थितियों का व्यापक रुप से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।